

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु 9.053 है 0 वन भूमि का लोनिंगिंग को हस्तान्तरण।

(i)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	चमोली
(iii)	जिला वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
(iv)	पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	9.053 है 0 वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.407 है 0, सिविल भूमि 5.66 है 0 एवं 1.981 है 0 सिविल भूमि मक डिस्पोजल हेतु)
2-	पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई नई वन भूमि की विधिक प्रस्ताविति	आरक्षित वन भूमि, सिविल भूमि,
3-	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा-	संलग्न।
(i)	वन का प्रकार	आरक्षित वन भूमि, सिविल भूमि,
(ii)	वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.5
(iii)	प्रजातिवार स्थलवार या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना।	संलग्न।
(iv)	पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
4-	भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जानी वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीर्णता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न।
5-	वनभूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	0.100 किमी०
6-	वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	नहीं।
(i)	पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा	नहीं।
(ii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाय)	नहीं।
(iii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाए)	नहीं। मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण, देहरादून की पत्र सं० 313 / १९३८/२०२१ दिनांक ०२.०६.२०२१ से केंद्रान्तर वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम हवाई दूरी १२.४० किमी० जी०आई०एस० तकनीकी से सन्निकट आकलित की गयी है।
(iv)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी० के भीतर अवस्थित है, (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाए)	नहीं।
(v)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, तो उसके ब्यौरे	नहीं।

7— क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वाया या विरासत स्थल या प्रातेरक्षात्मक स्थापन या   नहा। काई महत्वपूर्ण संसारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जान के लिए संक्षम। प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ उसका ब्यौरा दें।)	
8— पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार को   निम्नानुसार। युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें।	
(i) क्या भाग—1 के पैरा 6 और 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए आते न्यूनतम है।	न्यूनतम ह।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचका भूमि न्यूनतम
9— किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे:-	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धार्थों के अतिक्रमण   नहाँ। में किसी कार्य की किया गया है (हाँ/ नहीं)	
(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के   नहाँ। लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के लिए। उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कायेवाहा।	
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति है (हाँ/ नहीं)	नहाँ।
10— क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के ब्यौरे:-	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तियां।	सिविल भूमि ग्राम जाखना, घमताला माख एवं घनसारा
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सं0 क्षेत्र ओर क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गेर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	प्रस्ताव में सलग्न क्षातपरक वृक्षारोपण स्थल प्रमाण पत्र एवं डिजिटल मप के ज्ञानसार।
(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पचान किए गए गेर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सरेक्षण आर। समीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	प्रस्ताव में सलग्न।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के ब्यौरे संलग्न है (हाँ/ नहीं)	प्रस्ताव में सलग्न।
(v) क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्क्रीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय:-	प्रस्ताव में सलग्न।
(vi) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में सवद्ध उप वन संरक्षण से प्रमाण—पत्र सलग्न है (हाँ/ नहीं)	प्रस्ताव में उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सलग्न है।
11— वनस्पति और जीवजन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है। (हा/ नहीं)	नहाँ।
12— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की जनहित में संस्तात दा जाता है। विनिर्दिष्ट सिफारिशें।	

स्थान:- गोपश्वर।

दिनांक— 26/03/2021

  
 प्रभागाय वनस्पति  
 प्रभागीय वनस्पति वरी  
 बद्रान्धन कर्तव्य प्रभाग वनस्पति वरी  
 (घमेली)